न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/
दायरा तिथि : 03.08.2022
निर्णय दिनांक: 13-08-2022

वादीगण :–

1. छोगीबाई पुत्री समाराम
2. वक्तुबाई पुत्री समाराम जातिगण सीरवी (जणवा चौधरी) निवासी खुडाला जरिये आम मुख्तयार तेजाराम पुत्र भुताजी जाति चौधरी निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

रणजीत चौधरी पुत्र रूपारारामजी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री अमृत परिहार .... अभिभाषक वादी की ओर से से
2. श्री जयकिशोर लखारा ...... प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक 13-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 928/4 रकबा 0.21 हैक्टर के सह खातेदार वादी संख्या–01 छोगीबाई को 2/15 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या–02 वक्तुबाई को 2/15 हिस्सा का तथा प्रतिवादी रणजीत चौधरी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वाद में इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्व0 समाराम उर्फ समीया पुत्र मेघा के पांचो वारिशान की निम्नानुसार रही हैः–

पूराराम पुत्र समाराम 1/5 हिस्सा
मनाराम पुत्र समाराम 1/5 हिस्सा
गोमाराम पुत्र समाराम 1/5 हिस्सा
छोगीबाई पुत्री समाराम 1/5 हिस्सा
वक्तुबाई पुत्री समाराम 1/5 हिस्सा

वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार गोमाराम पुत्र समाराजी ने स्वयं को निहित 1/ 5 हिस्सा संपुर्ण , 1/ 5 हिस्सा की सह खातेदार श्रीमति छोगीबाई पुत्री समारामजी ने 1/3 हिस्सा की भूमि यानि कि वादग्रस्त भूमि मेंसे 1/15 हिस्सा एवं 1/5 हिस्सा की सह खातेदार श्रीमति वक्तुबाई पुत्री समाराम ने 1/3 हिस्सा (1/ 5+1/15+1/ 15) के बेचान हस्तान्तरण हेतु एवं अन्य सभी कार्यो के लिये आम मुख्तयारनामा दिनांक 27.02.2019 के जरिये अधिकृत किया। आम मुख्तयारनामा दिनाक 27.02.2019 के जरिये वादीगण के आम मुख्तयार तेजाराम पुत्र भूताजी चौधरी निवासी बमणिया ने दिनांक 26.07.2021 को प्रतिवादी रणजीत चौधरी के हक में वादीगण एवं गोमाराम पुत्र समाराम की ओर से विक्रय विलेख लखवाकर निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1466 खोला जाकर दिनांक 25.08.2021 को स्वीकृत किया गया। जो नामान्तरकरण बेचान रजिस्ट्री के विरूद्व दाखिल कर स्वीकृत करते हुये वादीगण का नाम रेकर्ड से विलोपित करते हुये वादग्रस्त भूमि में 3/5 हिस्सा का खातेदार प्रतिवादी को दर्ज कर दिया। जबकि बेचान रजिस्ट्री के अनुसार वादीगण का 1/15, 1/15 हिस्सा बेचान होने के बाद वादीगण का 2/15, 2/15 हिस्सा शेष रहता है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1466 प्रारम्भः से शून्य होने से वादीगण को उपरोक्तानुसार 2/15, 2/15 हिस्सा का एवं प्रतिवादी को 1/3 हिस्सा का सह खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में आम मुख्तयारनामा दिनांक 27.02.2019 की फोटो प्रति,विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2021 की प्रति, एवं नामान्तरकरण संख्या 1466 स्वीकृति दिनांक 25.08.2021 की प्रति पेश की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर दिनांक 13.08.2021 को प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशोर लखारा ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादी पक्ष व उनके अधिवक्तागणो ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश कर लोक अदालत की भावना ने वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित वादी पक्ष की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा की गई एवं प्रतिवादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जयकिशोर लखारा द्वारा की गई। दोनो पक्षो एवं उनके अधिवक्तागणो ने माफिक राजीनामा ग्राम खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 928/4 रकबा 0.21 हैक्टर का वादी संख्या –01 छोगीबाई को 2/15 हिस्सा का, वादीनी संख्या–02 वक्तुबाई को 2/15 हिस्सा का एवं प्रतिवादी रणजीत चौधरी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार.................02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : [illegible] 2022/
अनवान छोगीबाई पुत्री समाराम वगैरा के आमु, तेजाराम बनाम रणजीत चौधरी
अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात् वाद वादीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 928/4 रकबा 0.21 हैक्टर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादी संख्या–01 छोगीबाई को 2/15 हिस्सा का, वादी संख्या–02 वक्तुबाई को 2/15 हिस्सा का एवं प्रतिवादी रणजीत चौधरी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि के 2/5 हिस्सा में बतौर राह खातेदार पूनाराम पुत्र समाराम व मनाराम पुत्र समाराम यथावत कायम रहेंगे। राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के लिए तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(signature)
([illegible])
आई.ए.एस.,
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 18-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature)
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादीगण :–

1. छोगीबाई पुत्री समाराम
2. वक्तुबाई पुत्री समाराम जातिगण सीरवी (जणवा चौधरी)
   निवासी खुडाला जरिये आम मुख्तयार तेजाराम पुत्र भुताजी जाति चौधरी
   निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

रणजीत चौधरी पुत्र रूपारारामजी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2022/

अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात् वाद वादीगण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 928/4 रकबा 0.21 हैक्टर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादी संख्या–01 छोगीबाई को 2/15 हिस्सा का, वादी संख्या–02 वक्तुबाई को 2/15 हिस्सा का एवं प्रतिवादी रणजीत चौधरी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि के 2/5 हिस्सा में बतौर सह खातेदार पूनाराम पुत्र समाराम व मनाराम पुत्र समाराम यथावत कायम रहेगे। राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-08-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner